



Neutral Citation No. - 2026:AHC:124270

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 17638/2026

राजा उर्फ राजकुमार

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रत्यर्धी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: धर्मेन्द्र कुमार चौबे, प्रवीन कुमार तिवारी

प्रत्यर्धी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता, मोनी गुप्ता

न्यायालय संख्या - 4

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल,

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रवीन कुमार तिवारी, प्रथम सूचनाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता सुश्री मोनी गुप्ता तथा राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रोशन कुमार सिंह को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. वर्तमान जमानत आवेदन, विचारण के लंबित रहने के दौरान, थाना- दुबहड़, जिला बलिया में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 141/2025, अंतर्गत धारा- 137(2), 87, 64(2)(एम) बी.एन.एस., 2023 एवं धारा 5एल/6 पाँक्सो अधिनियम में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दाखिल किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि पीड़िता अनपढ़ थी और उसकी आयु सुनिश्चित करने के लिए कोई शैक्षणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। इसलिए, पीड़िता की रेडियोलॉजिकल जांच के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) द्वारा जारी आयु प्रमाण पत्र ही उसकी आयु के संबंध में प्रामाणिक दस्तावेज है, जो यह दर्शाता है कि पीड़िता की आयु लगभग 18 वर्ष थी। यह भी तर्क दिया गया है कि बी.एन.एस.एस. की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता का बयान भी यह दर्शाता है कि उसने स्वेच्छा से आवेदक के साथ अपना घर छोड़ा था। इसलिए, आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क दिया गया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी तर्क दिया गया है कि वर्तमान मामले में आरोप-पत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासती पूछताछ (कस्टोडियल इंटरोगेशन) की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक एक कानून का पालन करने वाला नागरिक है और वह 10.01.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाहियों में सहयोग करेगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. इसके विपरीत, प्रथम सूचनाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और साथ ही राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया परंतु उपर्युक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।
6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्त की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़भाड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष आपराधिकवादों के अत्यधिक लंबित होने को ध्यान में रखने के साथ-साथ जमानत देने के संबंध में कपिल वाधवान बनाम केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, **2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश और साथ ही माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, **2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** के मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देश पर विचार करते हुए तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा यह मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है। तदनुसार, वर्तमान आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. उपर्युक्त अपराध में शामिल आवेदक- राजा उर्फ राजकुमार को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, निम्नलिखित शर्तों के साथ उतनी ही धनराशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा कर दिया जाए:
 - i. आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे, और न ही साक्ष्यों के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा।
 - ii. आवेदक बिना कोई स्थगन मांगे विचारण/विवेचना में ईमानदारी से सहयोग करेगा।
 - iii. आवेदक जमानत पर रिहा होने के बाद किसी भी आपराधिक गतिविधि या किसी अपराध को कारित करने में संलिप्त नहीं होगा।
 - iv. आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।
8. उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का एक आधार होगा।
9. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और प्रतिभूतियों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण का सत्यापन किया जाए।
10. संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक के साथ-साथ प्रतिभूतियों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन किया जाना चाहिए।
11. यह आगे निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **(2024) 10 एससीसी 685** में प्रतिवेदित जमानत देने के लिए नीतिगत रणनीति संदर्भ में : स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या **4 सन् 2021, 31.01.2023** को निर्णीत के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संबंधित जेल अधीक्षक, मऊ के माध्यम से ई-मेल या ई-जेल पोर्टल के माध्यम से आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(अरुण कुमार सिंह देशवाल, न्यायमूर्ति)

1 जून, 2026

एस.ए.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"